प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फ़ोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

27 मार्च 2026

आरबीआई ने वित्तीय बाज़ारों में विशिष्ट अभिज्ञापकों पर 'मास्टर निदेश' जारी किया

वैध इकाई अभिज्ञापक (एलईआई) और विशिष्ट लेन-देन अभिज्ञापक (यूटीआई), ऐसे मुख्य डेटा तत्व हैं, जिन्हें ओटीसी डेरिवेटिव लेन-देन की रिपोर्टिंग के लिए विश्व स्तर पर पहचाना गया है। जहां एलईआई किसी लेनदेन के प्रतिपक्षों की विशिष्ट पहचान करता है, वहीं यूटीआई लेनदेन के लिए एक अद्वितीय संदर्भ संख्या के रूप में कार्य करता है।

पिछले कुछ वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने ऐसे अनुदेश जारी किए हैं, जिनके तहत रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाज़ारों में होने वाले लेन-देन के लिए एलईआई की रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। ओटीसी डेरिवेटिव लेन-देन के लिए यूटीआई को अनिवार्यतः लागू करने संबंधी अनुदेश भी जारी किए गए थे।

उपर्युक्त अनुदेशों को अब वित्तीय बाज़ारों में विशिष्ट अभिज्ञापकों पर मास्टर निदेश में समेकित कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य विनियामक निदेशों की सुलभता को बेहतर बनाना और कारोबार करने में सुगमता लाना है। यह मास्टर निदेश आज जारी किया जा रहा है।

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2334